



हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

Tel : 0172-2585683

Website: www.HUDA.org.in

Toll Free No. 1800-180-3030

E-mail id: sao2hqHUDA@gmail.com

HARYANA URBAN
DEVELOPMENT AUTHORITY

Address: C-3 HUDA HQ Sector-6,
Panchkula

Instruction No. 28

To

1. All the Zonal Administrators,
HUDA in the state
2. Chief Town Planner,
HUDA, Panchkula.
3. All the Estate Officers,
HUDA in the state

NO.HUDA/CCF/AO-Cash/2017/ 38354
DATED:- 21/3/17

Subject: Notification regarding- Financing of balance 75% of total tentative price of plot by banks or Financial Institutions..

1. I am directed to inform you that notification regarding Financing of balance 75% of total tentative price of plot by banks or Financial Institutions duly approved by the Govt and the same has been published in Haryana Govt Gazette on dated 10.01.2017.
2. Copy of these instructions alongwith copy of notification is also being available on the HUDA website at the following link
https://www.huda.gov.in/Financial%20Wing/Instruction_of%20Finance_HUDA.pdf
3. It is for your kind information and taking further necessary action in the matter.

[Signature]
Sr. Accounts Officer,
for Chief Administrator
Huda, Panchkula.

CC:-

1. GM(IT) HUDA, HQ Panchkula with the request to upload the above instructions on HUDA website under policy – Finance Wing-Instructions



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 2-2017] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 10, 2017 (PAUSA 20, 1938 SAKA)

PART III

Notifications by High Court, Advertisement, Notices and Change of Name etc.

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH

Notification

The 24th December, 2016

No. 206 Gaz. II/XXI.C. 22.—In exercise of the powers conferred Under Section 9(6) of the Code of Criminal Procedure, 1973, Hon'ble the Chief Justice and Judges are pleased to notify the Central Jail-1, Hisar as a place of sitting of Court for trial of cases arising out of FIR No. 201 dated 12.07.2016 u/ss. 153, 153A(1), 153(B)(1), read with section 120B of IPC, Police Station Barwala, District Hisar.

For the aforesaid purpose, suitable accommodation for Court room etc. in the Central Jail-1, Hisar, shall be provided and arrangement also be made for the lawyers and parties to have an easy access to Court room in the Central Jail-1, Hisar. Further, necessary arrangements for security of the Judicial Officer, who has to try the case in the Central Jail-1, Hisar, shall also be made.

BY ORDER OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE AND JUDGES.

(Sd)...

REGISTRAR GENERAL,

54880—C.S.—H.G.P., Chd.

Price : Rs. 5-00

(9)



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 2-2017] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 10, 2017 (PAUSA 20, 1938 SAKA) PART III

हरियाणा सरकार

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

दिनांक 9 नवम्बर, 2016

संख्या प्रा० 142592:—हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम 13) की धारा 54 के (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा यादी क्रमांक 5/47/2016-2TCP दिनांक 9/11/2016 द्वारा सूचित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (भूमि तथा भवन निपटान) विनियम, 1978 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये विनियम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (भूमि तथा भवन निपटान) संशोधन विनियम, 2016 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (भूमि तथा भवन निपटान) विनियम, 1978 में, विनियम 5 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“आवासीय प्लॉट/भवन के मामलों में जब आवेदन इस प्रकार दिया गया है, सम्पदा अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे सशक्त किया जाए, ऐसे निदेशों के अध्याधीन जो इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएं, आवेदित आकार के प्लॉट या भवन के आबंटन के लिए आवेदक को विचार जाएगा। आबंटन “पहले आओ पहले पाओ” आधार पर या भाग्य-पत्रक (ड्रा ऑफ लाटस) द्वारा किया जा सकता है, जैसा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए तथा सफल आवेदक को पंजीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्ररूप ‘ग’ या ‘ग-1’ या ‘ग-द’ में आबंटन पत्र भेजा जाएगा; परन्तु शहरी सम्पदा को उचित आयोजना तथा विकास के प्रयोजन के लिए, भूमि तथा भवन, समूहों (ग्रुप) या व्यक्तिगत के लिए या किसी पेशे का व्यवसाय करने वाले या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारबार करने वाले व्यक्तियों के लिए या व्यक्तियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग, सरकारी विभागों तथा संस्थानों, धार्मिक संस्थानों तथा लोक कल्याण के अन्य संगठनों के लिए आरक्षित किया जा सकता है, जैसा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए”।

3. प्रारूप ‘ग-द’ का फारमेट जोड़ा जाता है:-

विकास गुप्ता,

मुख्य प्रशासक,

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण।

Price : Rs. 5-00

(10)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

प्रारूप 'ग-द'

(देखिए विनियम 5(3))

(पूर्णस्वामित्व आधार पर आबंटन करने के लिए आबंटन पत्र का प्रारूप केवल आबंटन द्वारा आवासीय/संस्थागत निपटान के लिए प्रयुक्त किया जाना है)

प्रेषक,

सम्पदा अधिकारी,-----

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

यादी क्रमांक:- आबंटन तिथि :-

विषय :- पूर्ण स्वामित्व आधार पर शहरी सम्पदामें सैक्टरमें प्लॉट नम्बर प्रवर्ग
(.....कनाल/मरला) का आबंटन।

1. शहरी सम्पदामें सैक्टरमें प्लॉटके आबंटन के लिए रजिस्ट्रेशन संख्याद्वारा आपके आवेदन के संदर्भ में।
2. आपका आवेदन विचार्य गया है तथा नीचे दिए गए व्योरे अनुसार एक प्लॉटनिम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (जिसे, इसमें, इसके बाद अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) तथा उसके अधीन लागू तथा समय-समय पर यथा संशोधित नियमों/विनियमों/हिदायतों/मार्ग दर्शनों/नीतियों इत्यादि के उपबन्धों के अध्याधीन पूर्ण स्वामित्व आधार पर आपको आबंटित किया गया है। प्लॉट का लगभग क्षेत्र तथा प्लॉट की अस्थायी कीमत नीचे दिए गए अनुसार कब्जा देने के समय पर वास्तविक माप के अनुसार समायोजन के अध्याधीन हैं।

सैक्टर संख्या	शहरी सम्पदा	प्लॉट संख्या	लगभग लम्बाई चौड़ाई	वर्ग क्षेत्र मीटर में	प्रति वर्ग मीटर दर	प्लॉट की अस्थायी कीमत (रुपयों में)

3. प्लॉट एक अधिमानीक/विशेष अधिमानीक है तथा उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित कीमत की 10 प्रतिशत/20 प्रतिशत की दर से रु०.....अधिक कीमत हैं जो उपरोक्त अस्थायी कीमत में शामिल की गई हैं।

आपको इस आबंटन पत्र के जारी करने की तिथि से तीस दिन अर्थात् दिनांकको या से पूर्व, की अवधि के भीतर प्राधिकृत बैंक तथा हुड्डा के खाते में रु०की राशि जो पेशगी धन के रूप में आपके आवेदन प्रारूप के साथ आप द्वारा भुगतान रु०की राशि सहित कुल अस्थायी कीमत का 25 प्रतिशत होगा विधिवत जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त, बकाया राशि अर्थात् प्लॉट/भवन की अस्थायी कीमत का रु०आबंटन पत्र को जारी करने की तिथि से 60 दिन के भीतर अर्थात् दिनांक.....तक बिना ब्याज एक मुश्त भुगतान की जाएगी, जिसमें असफल रहने पर आबंटन बिना किसी नोटिस के रद्द हो जाएगा तथा आप द्वारा जमा की गई पेशगी धन राशि जब्त हो जाएगी तथा आप हानि के लिए कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

टिप्पणी :- पूर्वोक्त भुगतानों के भुगतान के लिए कोई भी अलग नोटिस नहीं भेजा जाएगा।

5. सभी भुगतान या तो हुड्डा बैबसाईट पर आनलाईन भुगतान या हुड्डा बैबसाईड से चालान निकाल करके प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से आफ लाईन ढंग से की जाएगी।

6. प्लॉट का कब्जा क्षेत्र में विकास कार्य को पूरा करने के बाद आबंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाएगा। यदि प्लॉट का कब्जा आबंटन की तिथि से तीन वर्ष की विहित अवधि में नहीं दिया जाता है, तो हुड्डा तीन वर्ष की समाप्ति के बाद कब्जा देने की तिथि तक आप द्वारा जमा राशि पर 9 प्रतिशत की दर से (या जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा नियत किया जाए) देगा। इस प्रयोजन के लिए विकास कार्यों से अभिप्राय है, मूल सुखसुविधाएं अर्थात् डब्ल्यू० बी० एम० स्तर तक सड़क, पानी, बिजली तथा सीवरेंज।

7. उपरोक्त कीमत इस सीमा तक अस्थायी है कि भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि की कीमत में किसी वृद्धि के निर्णय के अनुसार मुख्य प्रशासन द्वारा यथा अवधारित आनुपातिक रूप से भी भुगतान योग्य होगी। निर्धारित की गई अतिरिक्त कीमत उसकी मांग के तीस दिन के भीतर भुगतान की जाएगी।

8. देय राशि के भुगतान में किसी चूक के मामले में, सम्पदा अधिकारी अधिनियम की धारा 17 के उपबन्धों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने तथा प्लॉट को पुनर्ग्रहण की कार्रवाई करने के लिए अप्रसर होगा।
9. अन्तरण की किसी अन्य शर्त का भंग करने की घटना में, सम्पदा अधिकारी अधिनियम की धारा 17 के उपबन्धों के अनुसार भूमि/भवन का पुनर्ग्रहण कर सकता है।
10. ऐसी भूमि/भवन या दोनों के विक्रय के कारण प्राधिकरण को देय ब्याज सहित सम्पूर्ण प्रतिफल धन राशि तथा अन्य राशि, यदि कोई हो, के भुगतान करने तक भूमि/भवन निरन्तर प्राधिकरण से सम्बन्धित होगा। आपको सक्षम प्राधिकारी पूर्व अनुमति के सिवाए प्राधिकरण को पूरी कीमत का भुगतान करने तक प्लॉट/भवन के विक्रय, उपहार, गिरवी या अन्यथा के रूप में या उसके किसी अधिकार, हक या हित का अन्तरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
11. प्लॉट/भवन की अस्थायी कीमत के शत प्रतिशत भुगतान करने पर, आपको विहित प्रारूप में या ऐसी रीति में जो सम्पदा अधिकारी द्वारा निर्देशित की जाए, हस्तान्तरण विल्लेख निष्पादित करना होगा। पंजीकरण तथा मुद्रांक शुल्क के प्रभार आप द्वारा भुगतान किए जाएंगे।
12. प्लॉट/भवन उस प्रयोजन से इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा जिसके लिए यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार आबंटित किया गया है सिवाए समय-समय पर यथा संशोधित विनियम 16 में यथा वर्णित फीस के भुगतान पर मुख्य प्रशासक की पूर्ण अनुज्ञा से भवन के निर्मित कवरण क्षेत्र की 25 प्रतिशत या 50 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, की सीमा तक आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि/भवन के निपटान में गैर-उपद्रव व्यावसायिक परामर्शी सेवाएं दी गई हों। कोई भी हानिकर (आपत्तिजनक) व्यापार किसी भूमि/भवन में या पर नहीं किया जाएगा।
13. आपके सक्षम प्राधिकारी द्वारा कथित भूमि/भवन पर अधिरोपित या निर्धारित सभी साधारण तथा स्थानीय करों, दरों या उपकरों का भुगतान करना होगा।
14. आपको आबंटन के समय पर आपके प्लॉट में विद्यमान किसी निर्माण सामग्री, वृक्षों, संरचनाओं तथा संयुक्त (कम्पाऊण्ड) दीवार जिसका मुआवजा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है या भुगतान किया गया है, के लिए अलग से भुगतान करना होगा, यदि आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं।
15. प्राधिकरण असमतल (उबड़-खाबड़) स्थलों को समतल कराने के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
16. (i) आपको भवनों के निर्माण को शासित करने वाले विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकरण से प्रस्तावित भवन की अनुमोदित योजना प्राप्त करने के बाद कब्जा देने की तिथि के दो वर्ष के भीतर निर्माण को पूरा करना होगा। यह समय सीमा नीती के अनुसार विस्तार फीस प्रसारित करके सम्पदा अधिकारी द्वारा विस्तार योग्य है, अन्यथा यह प्लॉट ग्रहण किए जाने के लिए देय होगा तथा उसके सम्बन्ध में भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि या उसका भाग, यदि कोई हो, उन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जब्त कर लिया जाएगा। आप सम्पदा अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भवन का निर्माण या कोई परिवर्तन/परिवर्धन नहीं करेंगे। किसी भूमि या भवन का कोई भी विखण्डन अनुमत नहीं किया जाएगा।
- (ii) आपको कब्जा देने की तिथि के तीन मास की अधिकतम अवधि के भीतर प्लॉट का कब्जा लेना होगा तथा दूसरे तीन महीनों के भीतर कम से कम नौ ईंच उंचाई की चार दीवारी भी निर्मित करनी होगी।
17. प्राधिकरण के पास समी ऐसे अधिकार तथा शक्तियों सहित उक्त स्थल में या के अधीन समी खान तथा खनिज के लिए अधिकार आरक्षित है जो किसी सतह या किसी भूमिगत कार्य करने की शक्ति सहित तथा कथित स्थल का सारा या उसके किसी भाग की सतह को नीचे करने के लिए तथा गढ़े खोदने, भवन बनाने, लाईने निर्मित करने तथा साधारणतः उपयुक्त हो समी ऐसी कार्यवाई करने के प्रयोजन के लिए उक्त स्थल की सतह का प्रयोग करने सहित समी समयों पर उसकी खोज करने, कार्य करने, प्राप्त करने, हटाने तथा उपभोग करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा समीचीन हो जैसा प्राधिकरण उचित समझे जो उसमें दिए गए अपवादों तथा आरक्षणों के पूर्ण उपभोग के लिए सुविधाजनक या आवश्यक हो। परन्तु आबंटिती ऐसे कार्यों या कार्य करने या किराए पर देने से कथित भूमि की सतह का प्राधिकरण द्वारा अधिभोग तथा सतह या भवन को हुई क्षति के लिए ऐसे भुगतान प्राधिकरण से प्राप्त करने के लिए हकदार होगा जो प्राधिकरण तथा आबंटिती के बीच सम्मत हो तथा ऐसे करार में असफल होने पर मध्यस्थता के संदर्भ से पता लगाया जाएगा।
18. प्राधिकरण इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों के माध्यम से कथित भूमि/उस पर बनाए गए भवन के किसी भाग में तथा पर लिखित में चौबीस घण्टे के नोटिस के बाद समी युक्तियुक्त समयों पर तथा युक्तियुक्त रीति में यह पता लगाने के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकता है कि आबंटिती ने उक्त अधिनियम के अधीन लागू नियमों/विनियमों के अधीन पालन की जाने वाली शर्तों का विधिवत पालन तथा अनुपालन किया है।
19. प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से समी समयों पर समी कार्य करने के पूर्ण अधिकार, शक्ति तथा प्राधिकार होगा जो कथित भूमि/भवन पर प्रथम प्रभार के रूप में, ऐसे समी या कोई कार्य तथा बातें करने की लागत तथा उससे सम्बन्धित या उसके सम्बन्ध में तथा किसी रूप में उपगत समी लागत के रूप में उस पर अधिरोपित समी या किन्हीं निबन्धनों, शर्तों तथा आरक्षणों सहित अनुपालन लागू करने तथा उससे वसूल करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा समीचीन हो।

20. इस आबंटन के विषय में से उत्पन्न या उसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्पन्न सभी विवादों तथा मतभेदों को मुख्य प्रशासक या उस द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को एक मात्र मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ सरकारी कर्मचारी है या प्राधिकरण का अधिकारी है कि वह उस मामले से सम्बन्धित था जिससे यह आबंटन ऐसे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उसकी कार्य के दौरान से सम्बन्धित है, उसने विवाद या मतभेद के सभी या किन्हीं मामलों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा तथा सम्बन्धित पार्टियों पर बाध्य होगा।

21. देय तिथि तक इस आबंटन पत्र के खण्ड 4 तथा 7 के अधीन यथा उपबन्धित अस्थायी कीमत/बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि अस्थायी कीमत बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान देय तिथि को नहीं किया जाता है, तो साधारण या चक्रवर्ती ब्याज जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्णीत ऐसे विलम्बित भुगतानों पर प्रभाय होगा चाहे ऐसे विलम्बित भुगतानों पर प्रभाय होगा चाहे कब्जा दिया गया है या नहीं। इस समय ब्याज की दर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष (साधारण) है।

भविष्य में, आपको समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा निर्णीत ऐसे विलम्बित भुगतानों पर साधारण या चक्रवर्ती ब्याज का भुगतान करना होगा। यह अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

टिप्पण :- (i) उपरोक्त आबंटन इस शर्त के अध्याधीन भी है कि आपको योजना की विवरणिका में यथा अधिसूचित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित शपथ पत्र तथा दो नवीनतम फोटो एवं तीन नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) पते में किसी परिवर्तन को रजिस्टर्ड पावती डाक द्वारा सूचित किया जाएगा।

(iv) आबंटन से सम्बन्धित मामले के बारे में विवाद, यदि कोई हो, का निपटान हुड्डा के सम्पदा कार्यालय..... की अधिकारिता में किया जाएगा।

(v) यदि आप द्वारा प्रस्तुत आमदनी के सबूत/शपथ पत्र/प्रमाण पत्र किसी चरण पर मिथ्या के रूप में पाए जाते हैं, तो उपरोक्त आबंटन रद्द हो जाएगा तथा जमा राशि प्राधिकरण के पास जब्त हो जाएगी तथा आपको उसके लिए किसी प्रकार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

सम्पदा अधिकारी,

हुड्डा

(नाम)

(मोहर)

HARYANA GOVERNMENT
HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY

Notification

The 9th November, 2016

No. Auth. 142592:— In exercise of powers conferred by clause (e) of Section 54 of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (Act 13 of 1977) and with the previous approval of the State Government, conveyed *vide* memo No. 5/47/2016-2TCP dated 09.11.2016, the Haryana Urban Development Authority hereby makes the following regulation further to amend the Haryana Urban Development Authority (Disposal of Land and Buildings) Regulations, 1978, namely:—

1. These regulations may be called the Haryana Urban Development Authority (Disposal of Land and Buildings) Amendment Regulations, 2016.
2. In the Haryana Urban Development Authority (Disposal of Land and Buildings) Regulations, 1978, Sub Regulation (3) of the Regulation 5 shall be substituted with the following provision:
“ In the case of residential plot/building when the application has been so tendered, the Estate Officer or such other officer as may be empowered, shall subject to such directions as may be issued by the Authority in this behalf consider the applicant for allotment of a plot or building of the size applied for. The allotment may be on 'first come first served' basis or by draw of lots, as may be determined by the Authority and the successful applicant shall be sent allotment letter in form 'C' or 'CI' or 'C-R' by registered post or electronic mode; provided that for the purposes of proper planning and development of an urban estate, land or building may be reserved for groups or individuals or for persons practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business or for such other category of persons, Government Departments and Institutions, charitable institutions and other organizations of public welfare, as may be decided by the Authority from time to time.”
3. Format of form 'C-R' is as annexed.

VIKAS GUPTA,
Chief Administrator,
Haryana Urban Development Authority.

HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY,

FORM 'C-R'

(See Regulation-5(3))

(Form of allotment letter, for allotment made on free-hold basis. To be used for residential/institutional disposed of by allotment only)

From

The Estate Officer,
Haryana Urban Development Authority.

To

Memo No.:

Allotment Date:

Subject: Allotment of Plot No. _____ Category _____ (____ Marla) in Sector _____ at Urban Estate _____ on free hold basis.

1. Please refer to your application vide Registration Number _____ for the allotment of a _____ plot in Sector _____ at Urban Estate _____.
2. Your application has been considered and a _____ plot as detailed below, has been allotted to you on free-hold basis as per the following terms and conditions and subject to the provisions of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (hereinafter referred to as the Act) and the Rules/Regulations/instructions/guidelines/policies etc. applicable there under and as amended from time to time. The approximate area of the plot and the tentative price of the plot as given below are subject to adjustment in accordance with the actual measurement at the time of offer of possession.

Sector Number	Urban Estate	Plot No.	Approximate Dimension	Area in sq.mtr.	Rate Per Sq. mtr.	Tentative Price of plot in ₹.

3. The plot is preferential/special preferential one and an extra price @ 10%/20% of the price mentioned in para 2 above is ₹. _____ which is included in the above tentative price.
 4. You shall deposit amount of ₹. _____ at the authorized bank and duly credited to HUDA account within a period of 30 days i.e. on or before Dt. _____ from the date of issue of this allotment letter which together with an amount of ₹. _____ paid by you along with your application form as earnest money, will constitute 25% of the total tentative price. Further, the balance amount i.e. ₹. _____ of the tentative price of the plot/building shall be paid in lump-sum without interest within 60 days i.e. on or before Dt. _____ from the date of issue of the allotment letter, failing which this allotment shall stand cancelled without any notice and earnest money deposited by you, shall stand forfeited and you shall have no claim for the damages.
- Note: No separate notice will be sent for payment of the aforesaid payments.
5. All payments shall be made either online payment on HUDA Website or off line mode through authorized Banks by generating challan from the HUDA website.

6. The possession of the plot will be offered within a period of 3 years from the date of allotment after completion of development works in the area. In case possession of the plot is not offered within the prescribed period of 3 years from the date of allotment, HUDA will pay interest @ 9% (or as may be fixed by Authority from time to time) on the amount deposited by you after the expiry of 3 years till the date of offer of possession. Development works for this purpose shall mean provision of basic amenities i.e. road upto WBM level, water, electricity and sewerage.
7. The above price is tentative to the extent that any Enhancement in the cost of land awarded by the Competent Authority under the Land Acquisition Act shall also be payable proportionately as determined by the Chief Administrator. The additional price determined shall be paid within 30 days of its demand.
8. In case of any default in payment of the due amount, the Estate Officer shall proceed to take action for imposition of penalty and resumption of plot in accordance with the provisions of Section -17 of the Act.
9. In the event of breach of any other condition of transfer, the Estate Officer may resume the land/building in accordance with the provisions of Section 17 of the Act.
10. The Land/building shall continue to belong to the Authority until the entire consideration money together with interest and other amount, if any, due to the Authority on account of sale of such land/building or both is paid. You shall have no right to transfer by way of sale, gift, mortgage or otherwise the plot/building or any right, title or interest therein till the full price is paid to the Authority, except with the prior permission of the Competent Authority.
11. On payment of 100% of the tentative price of the plot/building, you shall execute the Deed of Conveyance in the prescribed form and in such manner, as may be directed by the Estate Officer. The charges on registration and stamp duty will be paid by you.
12. The plot/building shall not be used for any purpose other than that for which it has been allotted in accordance with the plans approved by the Competent Authority except for rendering non-nuisance professional consultancy services in land/building disposed of for residential purposes to the extent of 25% of the built-up covered area of the building or 50 square meters, whichever is less, with the prior permission of the Chief Administrator on payment of fees, as mentioned in Regulation 16 and amended from time to time. No obnoxious trade shall be carried out in or on any land/building.
13. You shall have to pay all general and local taxes, rates or cesses imposed or assessed on the said land/building by the competent authority.
14. You shall have to pay separately for any construction material, trees, structures and compound wall existing in your plot at the time of allotment of which compensation has been assessed and paid by the Authority, if you want to make use of the same.
15. The Authority will not be responsible for leveling the uneven sites.
16. (i) You will have to complete the construction within two years of the date of offer of possession, after getting the plans of the proposed building approved from the competent authority in accordance with the regulations governing the erection of buildings. This time limit is extendable by the Estate Officer by charging extension fees as per policy, otherwise this plot is liable to be resumed and the whole or part of the money paid, if any, in respect of it forfeited in accordance with the provision of the said Act. You shall not erect any building or make any alteration/addition without prior permission of the Estate Officer. No fragmentation of any land or building shall be permitted.
(ii) You will have to take possession of the plot within a maximum period of three months of date of offer of possession and also construct a boundary wall at least of nine inches height within another three months.
17. The Authority reserves to itself all mines and minerals whatsoever in or under the said site with all such rights and powers as may be necessary or expedient for the purpose of searching, for working, obtaining, removing and enjoying the same at all such times, and in such manner as the Authority shall think fit, with power to carry out any surface or any underground working and to let down the surface of all or any part of the said site and to sink pits, erect building, construct lines and generally appropriate and use surface of the said site for the purpose of doing all such things as may be convenient or necessary for the full enjoyment of the exceptions and reservations herein Contained.
Provided that the allottee shall be entitled to receive from the Authority such payment for the occupation by the Authority of the surface and for the damage done to the surface or building on the said land by such works or workings or letting down as may be agreed upon between the Authority and the allottee or failing such agreement as shall by ascertained by reference to arbitration.

18. The Authority may by its officers and servants at all reasonable times and in a reasonable manner after twenty four hours notice in writing, enter in and upon any part of the said land/building erected there on for the purpose of ascertaining that the allottee has duly performed and observed the conditions to be observed under the Rule/Regulations applicable under the said Act.

19. The Authority shall have full rights, power and authority at all times to do through its officer or servants, all acts and things which may be necessary or expedient for the purpose of enforcing compliance with all or any of the terms, condition and reservations imposed and to recover from you as first charge upon the said land/building, the cost of doing all or any such act and things and all cost incurred in connection there-with or in and any way relating there to.

20. All disputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this allotment whatsoever shall be referred to the sole arbitration of the Chief Administrator or any other officer appointed by him. It will not be an objection to such appointment that the arbitrator so appointed is a Government servant or an officer of the Authority that he had to deal with the matter to which this allotment relates in the course of his duties as such Government servant or officer as the case may be, he has expressed his views on all or any of the matters in dispute or difference. The decision of such arbitrator shall be final and binding on the concerned parties.

21. The payment of tentative price /enhanced compensation as provided under clause 4 & 7 of this allotment letter, by due date, is mandatory. In case, payment of the tentative price /enhanced compensation is not made on due date, interest, simple or compound as decided by the Authority from time to time shall be chargeable on such delayed payments irrespective of the fact whether the possession has been offered or not. Presently rate of interest is 15% per annum (simple).

In future, you shall have to pay the interest simple or compound on such delayed payments as decided by the Authority from time to time. This is without prejudice to the rights of Authority to take action under Section 17 of the Act.

- Notes:**
- (i) The above allotment is also subject to condition that you will furnish affidavits as notified in the brochure for floatation of the scheme.
 - (ii) Two latest Photographs and 3 specimen signature and affidavits duly attested by the Executive Magistrate may be submitted.
 - (iii) Any change in address must be notified by registered A/D Post.
 - (iv) Dispute if any regarding allotment related matters shall be settled within the jurisdiction of the Estate Office HUDA _____.
 - (v) If Proof of Income /Affidavits/ Certificates submitted by you are found to be false at any stage, then the above allotment shall stand cancelled and deposited amount shall be forfeited to the Authority and you shall have no right to claim anything for the same.

Estate Officer,
HUDA _____.

[4-1]